पत्रांकः– 04/NULM-09/2014/..................1284

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

संजय दयाल, *आई.आर.एस.एस.*
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत
(औरंगाबाद/छपरा/सहरसा/सासाराम/हाजीपुर/सिवान/बेतिया/मोतिहारी/किशनगंज/बक्सर/जहानाबाद/लखीसराय/नवादा/जमुई/अररिया/मधुबनी/सीतामढ़ी/गोपालगंज/सुपौल/समस्तीपुर/शेखपुरा/मधेपुरा/भभुआ/खगड़िया/अरवल/बांका/शिवहर)।

पटना, दिनांकः 01/6/17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के SUH धटक के अधीन नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के SUH धटक के अधीन एक नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या– **04/NULM-09/2014/10** दिनांक– 13.01.2015 द्वारा रू. 37,03,000/– राशि उपलब्ध करायी गयी थी। यह भी विदित हो कि, आश्रय स्थल के निर्माण हेतु संशोधित ड्राईंग एवं डिजाईन में संशोधन के फलस्वरूप मानक प्राक्कलन की स्वीकृति के दौरान प्रति आश्रय स्थल राशि वर्द्धित कर रू. 49,33,000/– की स्वीकृति की सूचना विभागीय पत्रांक–2777 दिनांक– 12.06.2015 एवं पत्रांक–53 दिनांक– 29.07.2015 द्वारा संबंधित सभी नगर निकायों को दी जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि, आश्रय स्थल निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का **उपयोगिता प्रमाण–पत्र** एवं आश्रय स्थल योजना का अद्यतन प्रतिवेदन 7 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं इसकी प्रति **PMC-NULM** के ई–मेल **daysulmbihar@gmail.com** पर भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

31/5/17

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।